पत्रांक : BSEB(SS)/KEN/50/2024.-.307.......

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

प्रेषक,

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

सेवा में,

गोपनीय रिजल्ट प्रोसेसर
इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025

पटना, दिनांक :– 12/03/2025

विषय : इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025 में कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सम्मिलित परीक्षार्थियों के परीक्षाफल की तैयारी के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, 2025 के परीक्षाफल की तैयारी हेतु आपको निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं :–

1. परीक्षार्थी को सैद्धान्तिक (Theory) अथवा प्रायोगिक परीक्षा (Practical Examination) के जिस विषय में U/R (Under Regulation) के तहत जितने अंक प्रदान किए जाएँ, उतने अंक Regulation के बॉक्स में अंकित कराया जाए तथा उस विषय के कुल योग के समक्ष स्टार (*) प्रदर्शित किया जाए, जैसा कि पूर्व के वर्षों से होता आ रहा है।

2. इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 एवं 12 के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–21 से नयी विषय योजना लागू करने के संबंध में समिति पत्रांक स्था0 प्रे0 2243 दिनांक 21 मई, 2019 के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर विभागीय सहमति पत्रांक 09/बि0वि0प0स0–10/2019–280 दिनांक 23.05.2019 द्वारा प्राप्त है। तदनुसार किसी भी परीक्षार्थी द्वारा निम्नांकित समूह में लिए गये विषय योजना के अनुरूप परीक्षाफल तैयार किया जाना है:–

समूह –1		समूह –2			समूह –3
अनिवार्य विषय (Compulsory Subjects)		ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)			अतिरिक्त विषय (Additional Subject)
भाषा विषय–1	भाषा विषय–2	ऐच्छिक विषय–1	ऐच्छिक विषय–2	ऐच्छिक विषय–3	

3. किसी विषय में उत्तीर्ण होने हेतु सैद्धान्तिक खण्ड एवं प्रायोगिक खण्ड में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सैद्धान्तिक खण्ड में उत्तीर्णता हेतु 30 प्रतिशत तथा प्रायोगिक खण्ड के उत्तीर्णता हेतु 40 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।

4. उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम पाँच विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

5. यदि किसी अभ्यर्थी ने मात्र 05 विषयों यथा :–समूह–1 के 02 अनिवार्य (Compulsory) विषयों तथा समूह–2 के 03 ऐच्छिक (Elective) विषयों का चयन किया है एवं अतिरिक्त (Additional) विषय के रूप में किसी भी विषय का चयन नहीं किया है, तो चयनित पाँचों विषयों के कुल प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।

6. यदि किसी अभ्यर्थी ने 06 विषयों यथा :–समूह–1 के 02 अनिवार्य विषयों तथा समूह–2 के 03 ऐच्छिक विषयों के साथ–साथ समूह–3 में से अतिरिक्त विषय का भी चयन, छठे विषय के रूप में, किया है तो –

(क) 02 अनिवार्य विषयों तथा 03 ऐच्छिक विषयों में अलग–अलग उत्तीर्ण होने पर एवं अतिरिक्त विषय में अनुत्तीर्ण रहने पर उत्तीर्ण पाँचों विषयों के कुल प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा।

(ख) 02 अनिवार्य भाषा विषयों तथा 03 ऐच्छिक विषयों अर्थात समूह–1 एवं समूह–2 के कुल 05 विषयों में से किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण रहने तथा अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण होने की स्थिति में अनुत्तीर्ण विषय को (प्राप्तांक के साथ) अतिरिक्त विषय से (प्राप्तांक के साथ) निम्नरूपेण परिवर्तित (Replace) किया जा सकेगा :–

(i) अतिरिक्त विषय (विषय समूह–3) के अन्तर्गत यदि कोई भाषा विषय चयनित है और परीक्षार्थी उसमें उत्तीर्ण है, तो उक्त उत्तीर्ण भाषा विषय से –

अनिवार्य भाषा विषय (विषय समूह–1) के अन्तर्गत चयनित एवं अनुत्तीर्ण भाषा विषय को परिवर्तित (Replace) किया जा सकेगा, बशर्ते कि परिवर्त्तन के उपरान्त हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा विषय अवश्य हो;

(ii) अतिरिक्त विषय (विषय समूह–3) के अन्तर्गत यदि ऐच्छिक विषय (विषय समूह–2) की सूची में सम्मिलित कोई विषय चयनित है और परीक्षार्थी उसमें उत्तीर्ण है तो उक्त उत्तीर्ण विषय से :–

(अ) ऐच्छिक विषय (विषय समूह–2) के अन्तर्गत चयनित एवं अनुत्तीर्ण ऐच्छिक विषय को परिवर्तित (Replace) किया जा सकेगा;

(ब) अनिवार्य भाषा विषय (विषय समूह–1) के अन्तर्गत चयनित एवं अनुत्तीर्ण भाषा विषय को परिवर्तित (Replace) किया जा सकेगा, बशर्ते की परिवर्तन के उपरान्त हिन्दी अथवा अंग्रेजी एक भाषा विषय अवश्य हो।

(द) परन्तु कम्प्यूटर सायंस, मल्टी मीडिया व वेब टेक्नोलॉजी तथा योग व शारीरिक शिक्षा विषय में से कोई भी विषय किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विषय से परिवर्तित (Swap/Interchange) नहीं किया जा सकेगा।

(घ) सभी 06 विषयों अर्थात् 02 अनिवार्य विषयों, 03 ऐच्छिक विषयों तथा अतिरिक्त विषय में उत्तीर्ण रहने की स्थिति में प्रथम 05 विषयों अर्थात् 02 अनिवार्य विषयों तथा 03 ऐच्छिक विषयों के प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। ऐसे मामलों में पास प्रतिशत की गणना नामांकन लेने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान या नियोजक के द्वारा अपने निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।

7. इन्टरमीडिएट **कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय** के सत्र 2023–25 के नियमित/स्वतंत्र (Regular/Privat) एवं पूर्ववर्ती (Ex) कोटि के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में निर्धारित विनियमावली (Regulation) निम्नवत है, जो अंक–पत्र के पार पृष्ठ पर भी परीक्षार्थियों के सूचनार्थ मुद्रित रहेगा :–

In order to pass the Intermediate Examination, a candidate must obtain 30% of total marks in theory portion of each subject and 40% of total marks in practical of each subject.

1st Division - 300   2nd Division - 225

The remaining successful candidates shall be placed in third division. Distinction on 75% marks in any subject.

<u>REGULATIONS</u>

1. A Candidate failing in one subject only by not more than 8% marks or in two subjects by not more than 4% marks in each shall be given the marks he/she is short of and result shall be declared accordingly.

(i) This regulation will not be applicable in case of candidates appearing at the improvement, compartmental or qualifying examination.

(ii) In a subject or group of subjects where separate passing is necessary in part of it, the shortage shall be calculated on the basis of the full marks in the part. Failure in different parts of a subject shall be deemed to be failure in one subject only.

2. For candidate who takes 6 subjects (5 main and one additional subjects) and passes in all 6 subjects, the pass percentage is to be determined by the university /institution or employer as per their norms/eligibility.

3. A candidate who has obtained at least 75% marks in aggregate but has failed in one subject only by not more than 10% marks and cannot be allowed to pass under any other regulation, will be declared to have passed and division shall be determined accordingly.

4. The result of a candidate offering an Additional Subject shall be determined on the basis of marks obtained by him/her in all the Compulsory Subjects and Elective Subjects, taken together, viz. 2 Compulsory Language Subjects of 100 Marks each and 3 Elective Subjects of 100 marks each. If a candidate fails in one of the Compulsory Subjects and Elective Subjects, taken together, and passes in the Additional Subject, he/she will be declared pass by replacing the fail subject with Additional Subject under the following conditions :-

(a) A Language subject taken as Additional Subject may replace a Language subject taken as Compulsory Subject (Group-1) porvided after replacement the candidate has English/ Hindi as one of the pass language subject.

(b) When a subject, listed under Elective Subject (Group-2) is taken as Additional Subject, it may replace one of the subject taken under Elective Subject Group-2. It may also replace a Language subject taken under Compulsory Subject (Group-1), provided, after replacement the candidate has English/Hindi as one of the pass language subject.

5. If a candidate is short of the minimum aggregate marks prescribed for 1st or 2nd Division by 5 marks or less, he/she shall be given the minimum marks required to make up the deficiency and shall be placed in higher division but the position in that higher division shall be determined on the basis of the original marks secured by him.

In no case double benefit of regulation shall be allowed.

8. कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में :–

वर्ष–2016 की इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा तक अधिकतम 3 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र/छात्रा भी कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में अगले वर्ष में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होते थे। इन्टरमीडिएट स्तर पर पहली बार वर्ष–2016 की वार्षिक परीक्षा में केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए बाह्य विषयों (प्रायोगिक नहीं) की कम्पार्टमेन्टल परीक्षा आयोजित हुई। वर्ष, 2017 की वार्षिक परीक्षा से बाह्य पाँच विषयों में से अधिकतम किसी दो सैद्धान्तिक विषय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण (प्रायोगिक में नहीं) परीक्षार्थी को कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसर प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था प्रभावी है। परीक्षार्थी को आगामी आयोजित परीक्षाओं में कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु अधिकतम 03 अवसर प्रदान किए जाएँगें।

(ii) उक्त के आलोक में यदि कोई परीक्षार्थी किसी वर्ष की इन्टरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में अनिवार्य विषय समूह के 02 विषयों तथा ऐच्छिक विषय समूह के 03 विषयों अर्थात इन दोनों विषय समूहों के 05 विषयों में से अधिकतम 02 विषयों में अनुत्तीर्ण होता है, तो वह अनुत्तीर्ण विषय/विषयों में उत्तीर्णता हेतु उसी वर्ष की कम्पार्टमेन्टल (एवं विशेष) परीक्षा में प्रथम अवसर का उपयोग करते हुए कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकता है। पुनः अनुत्तीर्ण रह जाने की स्थिति में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण विषय/विषयों में उत्तीर्णता हेतु ठीक आगामी वर्ष की वार्षिक परीक्षा में द्वितीय अवसर का उपयोग करते हुए कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकता है। पुनः अनुत्तीर्ण रह जाने की स्थिति में परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण विषय/विषयों में उत्तीर्णता हेतु उस वर्ष

(आगामी) की कम्पार्टमेन्टल (एवं विशेष) परीक्षा में तृतीय अवसर का उपयोग करते हुए कम्पार्टमेन्टल परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकता है।

(iii) ऐसा परीक्षार्थी जो इन्टरमीडिएट परीक्षा में कम्पार्टमेन्टल के लिए उपर्युक्त कंडिका–**(ii)** के अनुसार प्रदत्त अवसरों में असफल रहता है अथवा शामिल होने में असफल रहता है, तो उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही माना जाएगा तथा उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य विवरण तथा पाठ्यक्रम के अनुसार बोर्ड की आगामी वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पुनः परीक्षा देनी होगी। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी के प्रायोगिक/आंतरिक अंको को कम्पार्टमेन्टल परीक्षा के तीसरे अवसर तक ही आगे ले जाया जाएगा।

(iv) कम्पार्टमेन्टल परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थी का मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण वाले विषय के अंक Carry on करते हुए परीक्षाफल में मात्र उत्तीर्ण (Pass) घोषित किये जाएंगे। उन्हें न तो कोई श्रेणी प्रदान की जाएगी और न ही उक्त विषय में कोई कृपांक (Grace Mark) ही देय होगा। साथ ही कम्पार्टमेन्टल कोटि के परीक्षार्थी का परीक्षाफल तैयार करने के क्रम में विषय Interchange/ Swap की सुविधा देय नहीं होगा। कम्पार्टमेन्टल परीक्षा के अंक विवरणी पर कम्पार्टमेन्टल परीक्षा (Compartmental Examination) लिखा जाएगा।

09. इन्टरमीडिएट समुन्नत कोटि के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में निर्धारित विनियमावली (Regulation for improvement of Performance in Intermediate Examination) निम्नवत् है :– (With effect from year 1999 examination, improvement examination has been introduced. Regulation is as under)

(A) (i) A candidate who has passed an examination of the Board may re-appear for improvement of performance in one or more/all passed subject(s) as the main examination in the immediate succeeding year.

(ii) No candidate shall be allowed to appear for improvement of performance after a lapse of one years of the main examination under any circumstances.

(B) If a candidate fails at the improvement examination or secures marks less than the marks secured by him/her at the main examination, the marks obtained by him/her in the concerned subject(s) at the main examination will remain unaltered and the result of main examination shall be deemed valid.

(C) A candidate who appears for improvement of performance in one subject or more or in all subjects will be issued statement of marks reflecting his/her marks obtained at the improvement examination in these subject (s) and shall be placed in Division as determined, but not in any merit list.

10. क्वालीफाईंग (Qualifying) के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में निर्धारित विनियमावली निम्नवत् है :–

QUALIFYING EXAMINATION IN ONE SUBJECT :

A candidate who has passed the Intermediate Examination in Arts, Science or Commerce may, if he so desires, appear in any one subject of the Intermediate Examination under this regulation (Two year Academic Course), other than the subjects in which he has already passed and if he secures at least the minimum pass marks prescribed for the subject, he shall be given a certificate to that effect. Attendance at lectures and tutorials shall not be compulsory other than practical subject. But if such a candidate offers a subject in which a practical examination is prescribed (other than Music and Home Science) he shall be required to complete a regular course of practical work for a period of at least one year in an institution and to produce a certificate from the Principal of the college to that effect.

11. व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नियमित तथा पूर्ववर्ती कोटि के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में निर्धारित विनियमावली :–

विशिष्टता DISTINCTION 75%	=	375 (A+Grade)
प्रथम श्रेणी FIRST DIVISION 60%	=	300 (A Grade)
द्वितीय श्रेणी SECOND DIVISION 45%	=	225 (B+Grade)
तृतीय श्रेणी THIRD DIVISION 33%	=	165 (B Grade)

1- A Candidate failing in one subject only by not more than 8% marks or in two subjects by not more than 4% marks in each shall be given the marks he/she is short of and result shall be declared accordingly.

(i) This regulation will not be applicable in case of candidates appearing at the improvement, compartmental or qualifying examination.

(ii) In a subject or group of subjects where separate passing is necessary in part of it, the shortage shall be calculated on the basis of the full marks in the part, Failure in different parts of a subject shall be deemed to be failure in one subject only.

2- For candidate who takes 6 subjects (5 main and one Additional Subjects) and passes in all 6 subjects, the pass percentage is to be calculated by the university /institution or employer as per their norms/eligibility.

3- A candidate who has obtained at least 75% marks in aggregate but has failed in one subject only by not more than 10% marks and cannot be allowed to pass under any other regulation, will be declared to have passed and Division shall be determined accordingly.

4- The result of a candidate offering an Additional Subject shall be determined on the basis of marks obtained by him/her in all the Compulsory Subjects and Elective Subjects, taken together, viz. 2 Compulsory Language Subjects of 100 Marks each and 3 Elective Subjects of 100 marks each.

5- If a candidate is short of the minimum aggregate marks prescribed for 1st or 2nd Division by 5 marks or less, he/she shall be given the minimum marks required to make up the deficiency and shall be placed in higher division but the position in that higher division shall be determined on the basis of the original marks secured by him.

In no case double benefit of regulation shall be allowed.

12. सत्र 2022–24 से राज्य के चिन्हित +2 विद्यालयों में पठन हेतु लागू व्यावसायिक ट्रेड के परीक्षार्थियों के परीक्षाफल तैयारी के संबंध में:–

सत्र 2022–2024 से राज्य के सभी जिलों में कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड यथा–**सुरक्षा (Security), ब्यूटिशियन (Beautician), टूरिज्म (Tourism), रिटेल मैनेजमेंट (Retail Management), ऑटोमोबाईल (Automobile), इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड हार्डवेयर (Electronics & H/W), ब्यूटी एण्ड वेलनेस (Beauty & Wellness), टेलीकॉम (Telecom) एवं आई०टी०/आई०टीज० (IT/ITes)** के पठन पाठन की शुरूआत की गयी है। व्यावसायिक ट्रेड का पठन पाठन अनिवार्य (Compulsory), ऐच्छिक (Elective) एवं अतिरिक्त (Additional) विषय संरचना के अलावे होगा।

12.1 उपर्युक्त के अन्तर्गत किसी विद्यार्थी द्वारा मात्र एक व्यावसायिक ट्रेड का ही चयन किया जाना है, जिसका कुल अंक एवं उत्तीर्णांक निम्नवत है:–

क्र० सं०	परीक्षा के खण्ड	कुल अंक	उतीर्णांक
1	सैद्धान्तिक	30	10
2	प्रायोगिक	50	17
3	CCE	20	इसका प्राप्तांक उस स्थिति में ही जोड़ा जाना है, जब परीक्षार्थी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक दोनों खण्डों की परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होगा। (This will be included only if the student qualifies, individually in Theory & Practical)

12.2. परीक्षार्थी के लिए व्यावसायिक ट्रेड में शामिल एवं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है अर्थात कोई परीक्षार्थी चयनित ट्रेड में अनुत्तीर्ण होता है और चयनित 02 भाषा विषय समूह एवं 03 ऐच्छिक विषय समूह में उत्तीर्ण रहता है तो भी उसका परीक्षाफल अनुत्तीर्ण घोषित होगा। श्रेणी निर्धारण में व्यावसायिक ट्रेड के प्राप्तांक की गणना नहीं की जाएगी और न ही इसके प्राप्तांक को किसी अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित (Interchange/ Swap) किया जा सकेगा।

12.3. व्यावसायिक ट्रेड में नियमानुसार कृपांक (Grace) देय होगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त के आलोक में परीक्षाफल की तैयारी करने की कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,

ज्ञापांकः BSEB(SS)/KEN/50/2024./307.... पटना, दिनांक 12/03/2025

प्रतिलिपिः
1. उप निदेशक आई०टी०/सिस्टम एनालिस्ट (उ०मा०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी एवं कर्मियों को सूचनार्थ।
3. सचिव एवं अध्यक्ष के आप्त सचिव तथा निदेशक, आई०टी०, विशेष कार्य पदाधिकारी एवं परीक्षा नियत्रंक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

12.3.25

परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

12.03.25

12/3/25